पत्र सं०–5/पी०–12/2010– 12(5)ब; स्वा०

# झारखण्ड सरकार

## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 22/5/2026

**विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत सरायकेला–खरसावाँ जिला के चाण्डिल में अर्धनिर्मित अनुमण्डलीय अस्पताल भवन को पुनर्विकसित करने की योजना हेतु कुल 2,39,30,415/–(दो करोड़ उनचालीस लाख तीस हजार चार सौ पन्द्रह) रुपये के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–170(5)ब योजना, दिनांक–24.02.2023, स्वीकृत्यादेश संख्या–13(5) दिनांक–19.05.2026 एवं कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–656(नि) दिनांक–12.03.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत सरायकेला–खरसावाँ जिला के चाण्डिल में अर्धनिर्मित अनुमण्डलीय अस्पताल भवन को पुनर्विकसित करने की योजना हेतु अधोलिखित तालिका के अनुरूप कुल 2,39,30,415/–(दो करोड़ उनचालीस लाख तीस हजार चार सौ पन्द्रह) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है:–

(राशि रूपये में)

| क्र० | योजना का नाम | स्वीकृत्यादेश एवं तिथि | प्रशासनिक स्वीकृत राशि | व्यय की स्वीकृति के पश्चात् योजना की कुल लागत राशि | योजना में अब तक आवंटित राशि | वर्त्तमान आवंटन | कुल आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुमण्डलीय अस्पताल, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ | 170 (5)ब यो० 24.02.2023 एवं 13(5) यो० 19.05.2026 | 17,51,56,700 | 19,90,87,415 | 17,51,56,700 | 2,39,30,415 | 19,90,87,115 |

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का क्रियान्वयन स्वीकृत्यादेशों में अंकित सभी शर्त्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

3. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110–48–01–05–45) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियाँ में करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि०, दिनांक–17.04.98 एवं 1800(वि), दिनांक–15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

(आनन्द कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

7. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

8. राशि निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं योजना के कार्यकारी एजेंसी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों के अनुरुप कराने की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता/पदाधिकारी की होगी। योजना कार्यान्वयन में किसी प्रकार के अनियमितता बरतने की स्थिति में संबंधित अभिंयता/पदाधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्त्व होगा।

13. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः 12(5)ब॰ राँची, दिनांकः 22/05/2026

प्रतिलिपिः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
3. उपायुक्त, राँची/सरायकेला–खरसावाँ।
4. सिविल सर्जन, सरायकेला–खरसावाँ।
5. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

12(5)ब॰
22/5/2026

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 5-P-12/2010/12(5)B

दिनांक - 22-May-2026

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 20 42100111048010545<br>4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण<br>01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित<br>05 - निर्माण<br>**State Scheme** | 23456 | RNCMED013<br>PRABHAT KUMAR<br>C.S.CUM<br>C.M.O.RANCHI<br>45 - निर्माण कार्य | 23,930,415.00<br>रुपये दो करोड उनचालीस लाख तीस हजार चार सौ पंद्रह |

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT LEVEL(1691)

Centeral Scheme : NA

योग: 23,930,415.00

रुपये दो करोड उनचालीस लाख तीस हजार चार सौ पंद्रह

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY



10.92.23.5

Run Date: 22/5/2026

**वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-**

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

| SI No | TREASURY | DDO CODE | DDO NAME | DDO DESG | 20S42100111048010545 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | निर्माण कार्य | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ranchi | RNCMED013 | Prabhat Kumar | C.S.Cum C.M.O.Ranchi | ₹2,39,30,415.00 (23456) | ₹2,39,30,415.00 |
| | | | | | | |

**कुल आवंटित राशि :- ₹2,39,30,415.00 (** दो करोड उनचालीस लाख तीस हजार चार सौ पंद्रह **) रूपये मात्र |**

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए**

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY